


## कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/वॉक इन इण्टरव्यू/400/2020/1286 लखनऊ : दिनांक 01/07/2020

### —:: कार्यालय ज्ञाप ::—

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति साक्षात्कार (वॉक इन इण्टरव्यू) के माध्यम से करते हुए उन्हें विभिन्न जनपदों में तैनात किया जाता है। शासन के चिकित्सा अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नवीन चिकित्सकों एवं महानिदेशालय के आदेश दिनांक 06.03.2019 एवं 16.07.2019 द्वारा वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत चिकित्सकों को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिये जाने हेतु दिनांक 06.07.2020 से 16.07.2020 तक ऑन-लाइन वेबसाइट <https://walkin.tsuprogram.com> पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैं, साथ ही पूर्व में दिनांक 15.02.2020 से 29.02.2020 तक एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के आवेदन पत्र पोर्टल पर मंगाये गये थे, जिसमें 544 नवीन आवेदन एवं 19 सेवा विस्तार किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, को पुनः आवेदन नहीं करना है।

अतः वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ नवीन चिकित्सकों एवं महानिदेशालय के आदेश दिनांक 06.03.2019 एवं 16.07.2019 द्वारा वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत चिकित्सकों को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिये जाने हेतु वेबसाइट <http://dgmhup.gov.in> का अवलोकन कर दिनांक 06.07.2020 से 16.07.2020 तक वेबसाइट <https://walkin.tsuprogram.com> पर ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं।

  
(डा0 बद्रि विशाल)  
महानिदेशक  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(प्रशिक्षण)  
तददिनांक।

पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/वॉक इन इण्टरव्यू/400/2020/

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-2
- 2- अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, रतन स्ववायर चतुर्थ तल, लखनऊ।
- 3- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक (नियोजन एवं बजट), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

**कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।**  
पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/वॉक इन इण्टरव्यू/400/2020/ लखनऊ : दिनांक 2020

**-:: कार्यालय ज्ञाप ::-**

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति साक्षात्कार (वॉक इन इण्टरव्यू) के माध्यम से करते हुए उन्हें विभिन्न जनपदों में तैनात किया जाता है। शासन के चिकित्सा अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नवीन चिकित्सकों एवं महानिदेशालय के आदेश दिनांक 06.03.2019 एवं 16.07.2019 द्वारा वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत चिकित्सकों को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिये जाने हेतु दिनांक 06.07.2020 से 16.07.2020 तक ऑन-लाइन वेबसाइट <https://walkin.tsuprogram.com> पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैं, साथ ही पूर्व में दिनांक 15.02.2020 से 29.02.2020 तक एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के आवेदन पत्र पोर्टल पर मंगाये गये थे, जिसमें 544 नवीन आवेदन एवं 19 सेवा विस्तार किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, को पुनः आवेदन नहीं करना है।

अतः वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ नवीन चिकित्सकों एवं महानिदेशालय के आदेश दिनांक 06.03.2019 एवं 16.07.2019 द्वारा वॉक इन इण्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत चिकित्सकों को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिये जाने हेतु वेबसाइट <http://dgmhup.gov.in> का अवलोकन कर दिनांक 06.07.2020 से 16.07.2020 तक वेबसाइट <https://walkin.tsuprogram.com> पर ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं।

(डा० बंदी विशाल)

महानिदेशक

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(प्रशिक्षण)

पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/वॉक इन इण्टरव्यू/400/2020/1259-42 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-2
- 2- अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, रतन स्व्वायर चतुर्थ तल, लखनऊ।
- 3- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक (नियोजन एवं बजट), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)